ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :– +91-8126660575::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
दि. 26-9-23
पत्रांक 1426

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 1066 / 12-1(2) दिनांक 25/09/2023::

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग।

विषय :– **जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत नागजगई–फेगू–बरम्वाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.451 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में। PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/17679/2016**

सन्दर्भ :– आपकी पत्र संख्या–1185/पी0एम0जी0एस0वाई0 (सिं0ख0) रुद्रप्रयाग/वन भूमि दिनांक 28.08.2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र में आप द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रकरण में पुनरीक्षित एन0पी0वी0 हेतु प्रेषित डिमाण्ड नोट को नोडल कार्यालय देहरादून से **(उक्त डिमाण्ड नोट की संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा पुनः जांच की जाय)** आपत्ति के साथ वापस किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में स्पष्ट कराना है कि प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की प्रेषित अनुपालन आख्या में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी./यू.सी.पी./06/176/2016/एफ.सी./2319 दिनांक 28.02.2019 **(संलग्नक–1)** के द्वारा तीन बिन्दुओं की आपत्ति लगाई गई थी, जिसके बिन्दु संख्या–1 में उल्लेख किया गया कि **In reply point No. 2, NPV calculation sheet submitted earlier was for Rs. 12,26,095/-but amount deposited in CAMPA is Rs. 9,53,307/-. Action required :- State Govt. may deposit the balance amount in CAMPA**

उक्त निर्देशों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक–1349/12–1(2) दिनांक 20.10.2022 **(संलग्नक–2)** के द्वारा एन0पी0वी0 की अवशेष धनराशि **रुपये 12,26,095.00–9,53,307=2,72,788.00 (दो लाख बाहत्तर हजार सात सौ अट्ठासी) मात्र** का डिमांड नोट प्रस्तावक विभाग को प्रेषित किया गया, जिसे नोडल स्तर से सत्यापनोरान्त प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करते हुये अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की गई। प्रेषित अनुपालन आख्या में पुनः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी./यू.सी.पी./06/176/2016/एफ.सी./1683 दिनांक 01.03.2023 **(संलग्नक–3)** के द्वारा चार बिन्दुओं की आपत्ति लगाई गई, जिसके बिन्दु संख्या–2 में उल्लेख किया गया कि–**क्योंकि सैद्धान्तिक स्वीकृति 5 वर्षों से पूर्व में जारी की गई थी, शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर से जमा किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही संशोधित शुद्ध वर्तमान मूल्य गणना पत्रक इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।**

उक्त निर्देशों के अनुपालन में पुनः इस कार्यालय के पत्रांक–3514/12–1(2) दिनांक 27.04.2023 के द्वारा पुनरीक्षित एन0पी0वी0 हेतु कुल धनराशि **रुपये 1.451 ha. @ 12,92,850.00 = 18,75,925.00 -12,26,095 = 6,49,830-00 (छः लाख उन्चास हजार आठ सौ तीस) मात्र** का डिमांड नोट प्रस्तावक विभाग को प्रेषित किया गया, **(संलग्नक–4)** जिसकी प्रभाग स्तर से जांच की गई एवं सही पाया गया।

अतः आंकलित धनराशि को उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त भारत सरकार के उक्त पत्र में **उल्लिखित 04 बिन्दुओं की वांछित सूचना कॉलमवार/बिन्दुवार मय संलग्नक ऑनलाईन/ऑफलाईन (01 मूल + 03 कलर प्रति) चार प्रतियों में** शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

JE(T)

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अभिमन्यु)
उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या– /दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

(अभिमन्यु)
उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।